केन्द्रीय सहायता में सामान्य अनुदान का अंश 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है परन्तु इन क्षेत्रों के मामले में ये क्षेत्र अपने योजना-व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता में अधिक अनुदान के पात्र होंगे। मेघालय, असम, नागालैंड, जम्मू तथा कश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्पिति तथा किन्नौर जिले) के लिए अनुदान का अंश 90 प्रतिशत होगा और शेष 10 प्रतिशत अंश ऋण माना जायेगा। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा सीमान्त जिलों, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा नीलगिरी (तमिलनाडु) में हुए व्यय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता की प्रणाली के अनुसार 50 प्रतिशत अंश अनुदान तथा 50 प्रतिशत अंश ऋण के रूप में होगा।

(2) असमानता कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है। पांडे तथा वान्चू समिति की रिपोर्टों द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार राज्य सरकार के सहयोग से ऐसे जिलों का अभिनिर्धारण तथा उन्हें अधिसूचित किया गया है जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जिन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा अभिनिर्धारित किया गया है वे नए उद्योगों के लिए वित्तीय तथा ऋण-दात्री संस्थाओं से रियायती वित्त उपलब्ध करने के पात्र है। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो जिले अभिनिर्धारित किए गए हैं गढ़वाल उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े अभिनिर्धारित किए गए 9 जिलों में से प्रत्येक के दो चुने हुए जिलों में तथा शेष राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक के एक जिले में, केन्द्रीय सरकार ऐसी नई इकाइयों को उनके स्थिर पूंजी निवेश के दसवें अंश के बराबर सीधा अनुदान अथवा राज-सहायता प्रदान कर रही है जिनकी कुल स्थिर पूंजी प्रत्येक के मामले में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इस रियायत के लिए उत्तर प्रदेश को भी पिछड़ा राज्य अभिनिर्धारित किया गया है।

(3) हाल ही में एक ग्राम बिजलीकरण निगम स्थापित किया गया है। यह निगम पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम बिजलीकरण कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को रियायती दर पर धन दे रहा है।

Complaint against Members of Punjab Subordinate Services Selection Board

6933. SHRI B. S. BHAURA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Punjab Governor have received any complaint against the members of the Punjab Subordinate Services Selection Board ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes, Sir.

(b) The complaint is being looked into by the State Government.